

अध्याय- 1

लोकतंत्र का क्रमिक विकास

परिचय

प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष की विवेचना करती है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले सौ वर्ष में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज्यादा से ज्यादा देशों में होता गया। आप देखेंगे कि आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एवं विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है।

इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कई उदाहरण दिए गये हैं। इन उदाहरणों से आप समझ पायेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी पहचान कर सकेंगे। हम यहाँ भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय के अंत में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है?

आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई। इस हेतु दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के

प्रमुख देश चिली के घटना चक्र तथा 1980 के पोलैण्ड की घटना को देखें-

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। आयेन्दे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिष्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरान्त 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में 'पोपुलर यूनिटी' नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आयेन्दे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाये। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा-प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किये। चिली के आयेन्दे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाये, जैसे-बच्चों को मुफ्त दूध बाँटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बाँटना आदि। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कम्पनियां देश के ताँबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। और काफी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेन्दे ने विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षडयंत्र में शामिल हो गये।

फलतः 11 सितम्बर, 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति आयेन्दे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इंकार किया। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियों पर देश के नाम अपना संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं-

“मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों! चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देरसबेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद! चिलीवासी जिंदाबाद! मजदूर जिंदाबाद!

ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा।”

- क्या राष्ट्रपति अपने भाषण में मजदूरों की दशाओं में सुधार के बारे में इशारा करते हैं?
- राष्ट्रपति का विरोध कौन-कौन लोग करते थे?
- अमीर लोग राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे?

इस प्रकार 11 सितम्बर, 1973 को जनरल आगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयेन्दे की हत्या कर दी।

11 सितम्बर, 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे ‘सैनिक तख्तापलट’ कहते हैं। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल आगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोशे की सरकार ने आयेन्दे के समर्थकों और लोकतंत्र की माँग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। आयेन्दे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं था।

पिनोशे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

अभी तक चिली में चार बार चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अलबर्टो वेशेले (जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दी गयी थी) की पुत्री मिशेल वेशेले विजयी रहीं। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी।

खुद करें, खुद सीखें

- नक्शे में चिली की खोज करो और उसमें रंग भरो
- नक्शे से यह पता करो कि हमारे देश के किस राज्य का आकार चिली के आकार से मिलता है?
- यह पता लगाओ कि चिली के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं?

पोलैण्ड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैण्ड भी था। उस समय पोलैण्ड पर 'जार्जेल्स्की' के नेतृत्व में 'पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स' पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैण्ड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

14 अगस्त, 1980 को पोलैण्ड में एक घटना घट गयी। उस दिन 'ग्डास्क' शहर में अवस्थित 'लेनिन जहाज कारखाना' के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का कारण था- एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की माँग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया

जाए। अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैण्ड में साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त, किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। अतएव हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। परन्तु मजदूर बिना इसकी परवाह किये हड़ताल पर डटे रहे। इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रिशियन 'लेक वालेशा' हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। धीरे-धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि

- (1) देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले।
- (2) राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाए।
- (3) प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए।

इस तरह आन्दोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता 'ग्डांस्क संधि' कहलायी। इस ग्डांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैण्ड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम 'सोलिडरनोस्क' अर्थात् 'सोलिडेरिटी' रखा गया। 'सोलिडेरिटी' के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। एक वर्ष के भीतर ही सोलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई और इसकी सदस्य संख्या एक करोड़ के करीब पहुँच गई। 1988 में लेक वालेशा के नेतृत्व में पोलैण्ड में फिर हड़ताल हो गई। इस समय तक पोलैण्ड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ से सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारूज़ेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट बढ़ने लगा। हजारों की संख्या में

सोलिडेरिटी के सदस्यों को जेलों में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई।

लेक वालेशा के नेतृत्व में आन्दोलन पूरे देश में फैल गया। अन्ततः पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेशा के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैण्ड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेक वालेशा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैण्ड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में लेक वालेशा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

खुद करें, खुद सीखें

- ❖ नक्शे में पोलैण्ड को ढूँढें तथा यह बताओं कि 1980 के दशक में यूरोप के किन-किन देशों में साम्यवादी शासन था? नक्शे में उन देशों पर रंग भरें।
- ❖ उन देशों का पता लगाओ जहाँ वर्तमान में साम्यवादी शासन है।

लोकतंत्र की विशेषताएँ

हमने अभी तक चिली एवं पोलैण्ड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों! हमने देखा कि चिली में आयेँदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। 11 सितम्बर, 1973 में तख्तापलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी जिसका उद्देश्य अमीरों की

हित साधना थी। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

1980 के दशक की पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारूजेल्स्की कर रहा था। यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी। लेकिन 1990 में लेक वालेशा के नेतृत्व में बनी पोलैण्ड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी।

बच्चों, आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें सबसे पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली में पिनोशे शासन और पोलैण्ड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था-

1. चिली में सैनिक शासन था जबकि पोलैण्ड में एक पार्टी का शासन था।
2. पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैण्ड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था।
3. जहाँ पोलैण्ड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिकनायकवाद का उदाहरण था वहाँ चिली का शासन सैनिक अधिकनायकवाद का।

इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएँ भी थीं-

1. दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी।
2. दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी।

आइये, अब हम तीन लोकतांत्रिक सरकारों-चिली की आयेन्दे सरकार, पोलैण्ड की लेक वालेशा सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें-

1. तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई थी,
2. बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज शासन नहीं चला रही थीं।
3. नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल थी।

आइए, हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं की पहचान करते हैं-

- ❖ लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनें।
- ❖ सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है।
- ❖ लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है।
- ❖ लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है।
- ❖ लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है।

हम अध्याय-2 में इन प्रश्नों पर दोबारा आयेंगे और लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनायेंगे। उपर के कथाओं को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं-

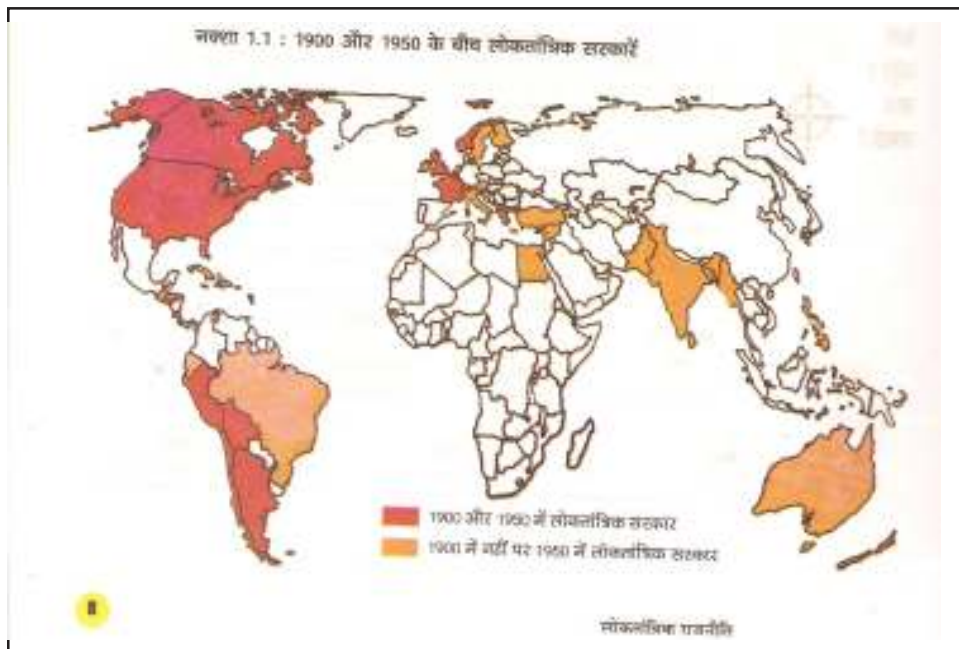
लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों तथा लोकतंत्र

की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफी संघर्ष किया।

कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्ता पलट हुआ और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई।

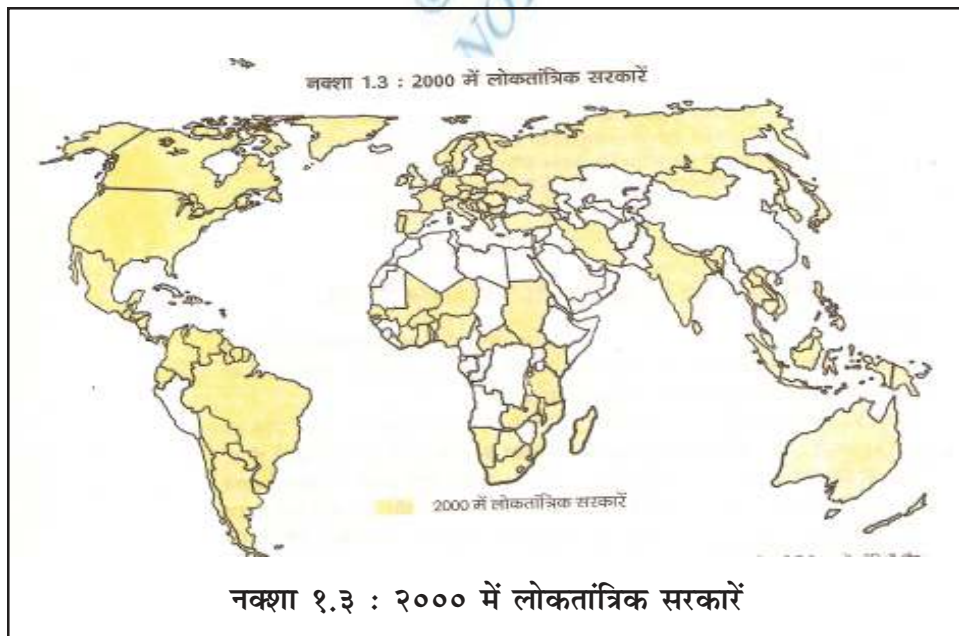
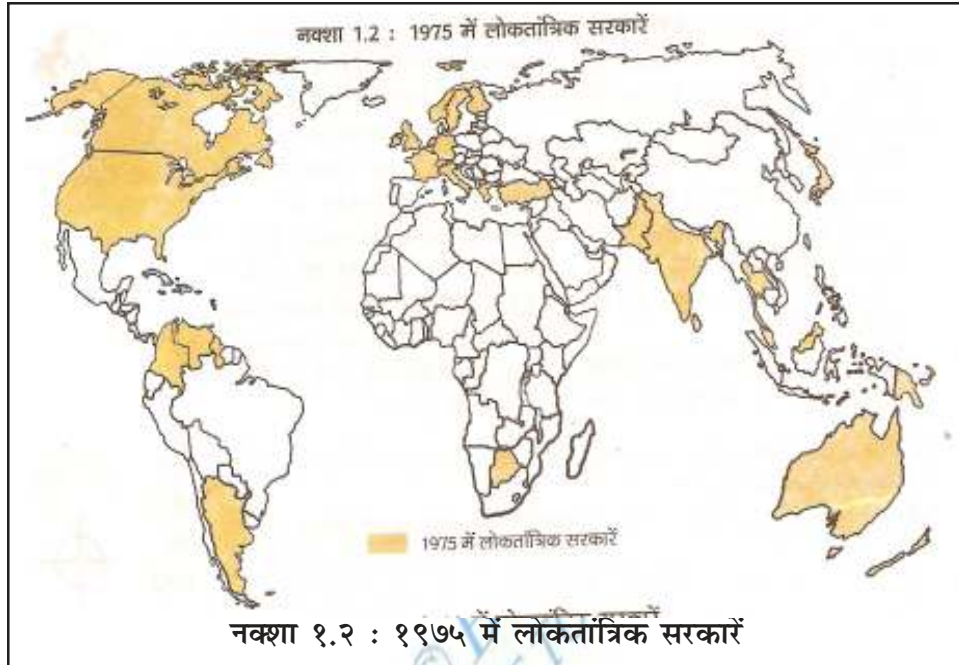
पुनः लम्बे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

आइये, हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। ये सारी स्थितियाँ नीचे अंकित नक्शों में साफ दिखायी देती हैं। पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है। सन् 1975 तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। इन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए तीसरे नक्शे में सन् 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया है, जहाँ 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी।



नक्शा १.१ : १९०० और १९५० के बीच लोकतांत्रिक सरकारें

लोकतंत्र का क्रमिक विकास : ९



लोकतंत्र का क्रमिक विकास : १०

उपर के नक्शों को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बीसवीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ? क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ? क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ? क्या आज भी दुनिया के काफी बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है? आओ, हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एवं अपने संशयों का समाधान “लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण” नामक उपशिर्षक में ढूँढ़ें।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे

इन नक्शों के आधार पर तीन देशों तक की पहचान करें जहाँ नीचे दिए गए वर्षों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ थीं और फिर नीचे दी गई तालिका को भरें।

वर्ष	अफ्रीका	एशिया	यूरोप	लातिनी अमेरिका
1950				
1975				
2000				

- ❖ नक्शा 1.1 से ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ सन् 1900 से 1950 के बीच लोकतंत्र था।
- ❖ नक्शा 1.1 और 1.2 से कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ 1950 से 1975 के बीच लोकतंत्र आया।
- ❖ नक्शा 1.2 और 1.3 से यूरोप के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जो सन् 1975 और 2000 में लोकतांत्रिक थे।
- ❖ लातिनी अमेरिका के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जिन्होंने 1975 के बाद लोकतंत्र को अपना लिया।
- ❖ कुछ ऐसे देशों की सूची बनाइए जो सन् 2000 तक में लोकतांत्रिक नहीं हुए थे।

लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण

आइए, हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्धकाल में गंगाघाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रान्त, अलकम्प का बुलि, केरूपुत्त के कालाम, रामग्राम, कुशीनारा का मल्ल, पिप्पलीवन के मोरिय, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केन्द्रिय समिति के पास थी, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केन्द्रिय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था।

आइये, अब हम आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का अवलोकन करते हैं।

प्रारम्भिक चरण :- आधुनिक विश्व में सन् 1789 ई0 में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरूआत होती है। इस क्रांति ने लोकतंत्र के तीन तत्त्वों को स्थापित किया-स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। लेकिन फ्रांस के जनविद्रोह ने स्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। परन्तु फ्रांस में बार-बार लोकतंत्र स्थापित हुई। फ्रांस के 1789 की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैल गया। इस जन विद्रोह ने युरोप में जगह-जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरण दी।

ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था। लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। ब्रिटेन में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे-धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएँ घटीं, जिनसे राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियाँ कम होने लगीं और जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकुमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1776 ई. में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकुमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अमेरिका में 1789 ई. में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया और आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन-व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।

यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और इसमें प्रगति भी हुई। परन्तु यह संघर्ष नागरिकों की राजनैतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता जैसे मूल्यों के प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त नहीं थे। 1900 ई. तक न्यूजीलैण्ड को छोड़कर किसी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैण्ड में 1893 ई. में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। कुछ देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिसके पास निजी सम्पत्ति थी। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरुषों को भी मताधिकार मिला। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। अब लोग, सभी वयस्क, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, चाहे वह गरीब हो या अमीर और चाहे वह श्वेत हो या अश्वेत हो, को मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगे। अभी तक इतना तो निश्चित हो चुका था कि युरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारम्भिक चरण पूरा हो चुका था। इन देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। यद्यपि, चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ही होते थे।

उपनिवेशवाद का अन्त

आइये, अब हम एक नजर दौड़ाये कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इन देशों की जनता ने अपने-अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया, परन्तु संघर्ष के विस्तार देखते हुए औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुए। परन्तु जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अब सम्पूर्ण राजनैतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अन्ततोगत्वा औपनिवेशिक शासकों को इन देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह हमारा देश भारत भी 1947 ई. में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र सफल रहा और यह आज भी सफलतापूर्वक जारी है। परन्तु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है।

आइये, हम पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की कहानी लेते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्डकोस्ट था। राजनैतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष की शुरूआत हुई। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक 'लामे एनक्रूमा' इस संघर्ष का नेता था। उसके नेतृत्व में घाना 1957 ई. में आजाद हुआ। आजादी के बाद एनक्रूमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रूमा ने अपने आपको आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। सेना ने 1966 ई. में घाना के एनक्रूमा सरकार का तख्ता पलट दिया गया और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोवेश यही स्थिति रही।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम

1893	न्यूजीलैंड
1917	रूस
1918	जर्मनी
1919	नीदरलैंड
1928	ब्रिटेन
1931	श्रीलंका
1934	तुर्की
1944	फ्रांस
1945	जापान
1950	भारत
1951	अर्जेंटीना
1952	यूनान
1955	मलेशिया
1962	ऑस्ट्रेलिया
1965	अमेरिका
1978	स्पेन
1994	दक्षिण अफ्रीका

खुद करें, खुद सीखें

- एटलस में घाना को ढूँढो और यह कि अभी घाना के शासक कौन है?
- फ्रांसीसी क्रांति के नायकों के नाम पता करो।

आइए हाल के दौर में लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते कदम के क्रम जिक्र करें।

1980 के बाद लातिनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। चिली की कहानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पुनः हमने देखा कि सोवियत संघ के विखराव के बाद पोलैण्ड में किस प्रकार लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गयी। 1989-90 में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई और वहाँ लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली नागरिकों ने अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गये। इनमें अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।

आइए, हम भारत के पड़ोस में स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष की जानकारी लेते हैं।

भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति एवं पुनर्स्थापना की कहानी को भी देखा जा सकता है-1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अन्तर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेन्द्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए, लेकिन 1962 में राजा महेन्द्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आन्दोलन के परिणामस्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1991 में नेपाल में संसद के चुनावों में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जी.पी.कोईराला देश के प्रधानमंत्री बने। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1996 से नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज उठाने के लिए आन्दोलन किए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया, जब राजा वीरेन्द्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेन्द्र ने राजपद सम्भाला। राजा ज्ञानेन्द्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार

को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आन्दोलन के कारण मई, 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉ॰ रामबर्द्धन यादव एवं प्रधानमंत्री 'प्रचंड' हुए। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार-बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हुई।

भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चलती रही है। जनरल जिया उल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाजशरीफ का तख्तापलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की। परन्तु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरम्भ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनावों के बाद पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आयी। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांतिप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गयी। नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और युसेफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार म्यांमार जो पहले (बर्मा) कहा जाता था, में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी है। यद्यपि 1948 में औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परन्तु 1962 से सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराये गए। इन चुनावों में आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग

फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, परन्तु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इंकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अन्य चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अन्यत्र शरणार्थी बनकर रहने लगे हैं।

नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा है। उनके शब्दों में “बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों की विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है।” आंग सान सूची के संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की है कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार म्यांमार में दिनोदिन लोकतंत्र समर्थक आन्दोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब म्यांमार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी।

खुद करें, खुद सीखें

- एटलस में एशिया के उन देशों को ढूँढें, जहाँ लोकतंत्र के लिए संघर्ष चल रहा है।
- नेपाल एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम पता लगाइये।
- नक्शे में म्यांमार को ढूँढिए। भारत के कौन-कौन से राज्य उस देश की सीमा से लगे हैं?

वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र

उपर हमने देखा कि लोकतंत्र का विस्तार विश्व के अधिकांश देशों में हो रहा है। हमारे मन में यह विचार सहज उत्पन्न होता है कि क्या हम विश्व-लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत की एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है और भी देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर विश्व में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो आंशिक रूप से वैसे ही कार्यों को करती हैं जैसे कि किसी देश की सरकार करती है। ये संस्थाएँ अथवा संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं। इस संगठन के छः मुख्य अंग हैं—महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, न्यास परिषद्, न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। महासभा संसद की भांति है, जिसमें किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में सभी 192 सदस्य देशों को एक-एक वोट देने का अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं। इस आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद् में 15 सदस्य होते हैं, इनमें पाँच स्थायी एवं दस अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य हैं—अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दस अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा दो वर्षों के लिए करती है। सभी स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद् उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। न्यास परिषद् मुख्यतः उन क्षेत्रों का प्रशासन देखती थी जो क्षेत्र

स्वतंत्र नहीं थे एवं जहाँ स्वशासन का विकास नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच के विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयार्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि किसी देश की सरकार रख सकती है। ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा-निर्देश देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्मित एवं विकसित विभिन्न कायदे-कानूनों की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं।

1. किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य-व्यापार को संचालित करने वाले कायदे-कानून।

2. सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने-संबंधी नियम-कानून

शस्त्रों को नियंत्रित करने हेतु बनाये गये नियम

इन नियमों एवं कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। विभिन्न देशों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता इन्हें लागू करने में रुकावट पैदा करती है। आज के वैश्वीकरण के युग में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में आये हैं। वैश्विक संगठनों में लोकतंत्र की मांग भी पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है एवं इसके लिए संघर्ष भी चल रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है?
 - (क) लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है।
 - (ख) लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है।
 - (ग) लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है।
 - (घ) लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है।
2. इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है?
 - (क) विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण।
 - (ख) सैनिक तख्ता-पलट।
 - (ग) प्रेस पर प्रतिबंध।
 - (घ) लोगों का संघर्ष।
3. इनमें से कौन-सा कथन सही है?
 - (क) प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं।
 - (ख) ब्रिटेन में 1688 ई. की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ।
 - (ग) फ्रांस में 1789 ई. की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली।
 - (घ) पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी
4. निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि...

 - (क) अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो।
 - (ख) दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो।

- (ग) विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले।
 (घ) विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो।
5. स्तम्भ 'अ' एवं स्तम्भ 'ब' को सुमेलित कीजिए।

स्तम्भ 'अ'

स्तम्भ 'ब'

- | | |
|---------------|---|
| (क) लिच्छवी | 1. सैनिक तानाशाही की समाप्ति |
| (ख) नेपाल | 2. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी |
| (ग) पाकिस्तान | 3. प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य |
| (घ) घाना | 4. राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। |
6. गैर-लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गये उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।
7. एशिया के पाँच गैरलोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए।
8. जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन-सी स्वतंत्रताएँ छीन ली जाती हैं।
9. इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

अपनी कक्षा में अलग-अलग समूह बना लें और नेपाल तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष से संबंधित अलग-अलग तरह की सूचनाएँ इकट्ठी करें। इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें:

- इन देशों की पूर्व सरकार किस आधार पर गैर-लोकतांत्रिक थीं।
- नेपाल तथा पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायत और माँगें क्या हैं?
- लोगों की इन माँगों पर पूर्व शासकों की क्या प्रतिक्रिया थी?
- इन दो देशों में लोकतांत्रिक सरकार हेतु संघर्ष के मुख्य नेता कौन हैं?